परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 487 द्वारा माननीय विधायक श्री सुन्दरलाल तिवारी सत्र फरवरी-मार्च 2018 (प्रश्नांश 'क' की जानकारी)

विकास आयुक्त के पत्र क्रमांक 4939 दिनांक 28.07.2017 द्वारा राज्य रोजगार गारंटी परिषद में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उपयंत्रियों/सहायक यंत्री की सेवाएं उनके मूल विभाग को सौपी गई।

श्री प्रेमलाल गर्ग उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में उपयंत्री के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं। अत: इनकी सेवाएं इनके मूल विभाग को वापस नही की गई।

विभागीय आदेश क्रमांक 4098 दिनांक 31.08.2017 की कंडिका 6 अनुसार जनपद पंचायतों में उपयंत्री के स्वीकृत पद संख्या से अधिक उपयंत्री पदस्थ होने की जानकारी चाही गई थी। श्री प्रेमलाल गर्ग उपयंत्री जनपद पंचायत रीवा में स्वीकृत पद संख्या के अंतर्गत ही पदस्थ हैं।

श्री गर्ग जनपद पंचायत रीवा में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यो का पर्यवेक्षण का कार्य सौपा गया है। रीवा जनपद में 92 ग्राम पंचायतें है। श्री ओंकार सिंह मलिक सहायक यंत्री रीवा जनपद द्वारा अपनी अस्वस्थता के संबंध में आवेदन दिया गया एवं उल्लेख किया कि वे सहायक यंत्री का पूर्णकालिक प्रभार देखने में असमर्थ हैं एवं श्री मलिक द्वारा दिनांक 31.01.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है। अत: कार्य सुविधा की दृष्टि से अस्थाई रूप से श्री गर्ग को जनपद पंचायत रीवा का सहायक यंत्री का आंशिक प्रभार प्रशासनिक कारणों से सौपा गया है, संलग्नीकरण नही किया गया है।

अत: विभाग द्वारा की गई कार्यवाही प्रशासनिक कारणो से की गई है जो कि नियमानुसार है।